

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 866**

**TO BE ANSWERED ON THE 14TH DECEMBER, 2022/ AGRAHAYANA 23, 1944
(SAKA)**

WELFARE OF CAPF PERSONNEL AND THEIR DEPENDANTS

866 SHRI DEEPENDER SINGH HOODA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) what new initiatives Government has taken or planning to take for the welfare of CAPF personnel and their dependants in the last three years;**
- (b) whether there is a proposal to partially or fully waive off GST imposed on Central Police Canteen as has been done in case of the Canteen Stores Department (CSD) Canteen where 50 per cent GST has been waived off, details thereof;**
- (c) whether there is a proposal to start Ardh Sainik Schools also for children of CAPF personnel like the Sainik schools, details thereof; and**
- (d) how many States have functional Ardh Sainik Kalyan Board for welfare of CAPF families, details thereof?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)**

- (a): Welfare measures undertaken for CAPF personnel are at Annexure.**
- (b): Quality products through Central Police Canteen (CPC), now renamed as Kendriya Police Kalyan Bhandar (KPKB), are being provided to beneficiaries at discounted rates through direct negotiation with the firms/suppliers. To ascertain quality of the products, all standard parameters as per Government rules/guidelines are ensured before registration of the products with KPKB.**

There is no exemption in GST to products sold through Kendriya Police Kalyan Bhandar.

(c): There is no proposal to set-up Ardh Sainik Schools like the Sainik Schools.

(d): Welfare and Rehabilitation Board (WARB) has been established to look after the welfare and rehabilitation of retired CAPFs personnel and their families including NoKs of deceased/disabled personnel. WARB has further designated State Welfare Officers (SWOs) and District Welfare Officers (DWOs) in States/UTs. Presently, 30 SWOs and 156 DWOs are functional for the purpose.

Welfare measures for CAPF personnel and their dependants/ families.

- Enhancement of existing Risk & Hardship Allowances of CAPF personnel deployed in the State of Jammu and Kashmir and Left-Wing Extremism (LWE) affected Districts for Anti Naxal Operations.
- Sanction of additional HRA at the rate of 'Y' Class city (16% of basic pay) to the CAPF personnel posted in Kashmir Valley for keeping their families at last place of posting, if retention of Government accommodation has not been availed.
- Development of a common website viz. "CAPF eAwas" web portal for online registration and allotment of Departmental Pool Residential Accommodation to CAPF personnel. It is also provided facility for inter-Force allotment.
- Creation of 42 posts of Medical Officer and paramedic staff in CRPF for six Field Hospitals in Bastar Regoin Chhattisgarh.
- Continuation of the existing school bus facility to the wards of CAPF personnel deployed in J&K, LWE and NE States.
- Airlift facility to Assam Rifles personnel and their families engaged in the air maintenance task from Jairampur/Jorhat to Vijaynagar and back.
- A "CAPF Punarvaas" scheme was launched by linking Private Security Agencies (Regulation) Act (PSARA) website with WARB website where the data of retired and willing Ex-CAPF/AR personnel is made available to Private Security Agencies on PSARA website for re-employment in Private Security Agencies.
- In view of the disputes while sanctioning Central ex-gratia lump sum compensation to NoK of the deceased CAPF personnel, a provision has been introduced for sharing the compensation amount among the eligible dependent family members along with NoK where nominee is not stated.
- Issuance of guidelines for Contributory Fund to bring uniformity in payout in CAPFs.
- The amount under the Prime Minister Scholarship Scheme (PMSS) has been enhanced to Rs. 3000/- per month for girls and Rs.2500/- per month for boys.
- Following benefits admissible to Next of Kin (NoK) of CAPFs & Assam Rifles personnel who sacrifice their lives in the line of duty, *inter alia*, include :-
 - (i) The Central ex-gratia lump-sum compensation ranging from Rs. 25 to 45 lakhs.
 - (ii) Liberalized Family Pension under Central Civil Services (Extra Ordinary Pension) Rules, 1939.
 - (iii) All other normal service benefits viz, Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG), Leave Encashment, Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS), General Provident Fund (GPF), etc.

-/.....

- (iv) Ex-gratia and other type of financial assistance from Risk/Welfare/Benevolent Fund of the Force concerned in accordance with the norms of the Fund.
- (v) Public contribution up to Rs.15 lakhs by uploading names of such personnel on 'Bharat ke Veer' online portal. Additional financial assistance of Rs.10 lakhs to parents of married deceased personnel from 'Bharat ke Veer' Corpus.
- (vi) Insurance coverage under CAPF Salary Package Scheme.
- (vii) Issuance of 'Operational Casualty Certificate' entitling NoKs to certain benefits viz., Air and Rail travel fare concession and allotment of retail petroleum outlet.
- (viii) Compassionate appointment to the eligible dependents in accordance with the Government instructions.
- (ix) Quota for wards for admission to MBBS and BDS Courses.
- (x) Payment of compensation/assistance by some States/Union Territories as per their rules.

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 866

दिनांक 14.12.2022/23 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

सीएपीएफ कर्मियों और उनके आश्रितों का कल्याण

866. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए क्या नई पहल की है या करने की योजना बनाई है;

(ख) क्या केन्द्रीय पुलिस कैटीन पर लगाए गए जीएसटी को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से माफ करने का प्रस्ताव है जैसा कि कैटीन भण्डार विभाग (सीएसडी) कैटीन के मामले में किया गया है, जहां 50 प्रतिशत जीएसटी माफ कर दिया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैनिक स्कूलों की तर्ज पर सीएपीएफ कर्मियों के बच्चों के लिए अर्ध-सैनिक स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के परिवारों के कल्याण हेतु कितने राज्यों में अर्ध-सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यरत है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): सीएपीएफ कार्मिकों के कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): लाभार्थियों को केन्द्रीय पुलिस कैटीन (सीपीसी), जिसे अब केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) नाम दिया गया है, के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद फर्मों/सप्लायरों के साथ प्रत्यक्ष समझौते के तहत रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केपीकेबी के साथ उत्पादों के पंजीकरण से पूर्व, सरकारी नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार सभी मानक पैरामीटर सुनिश्चित किए जाते हैं, ताकि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पादों पर जीएसटी में कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

(ग): सैनिक स्कूलों की तर्ज पर अर्ध-सैनिक स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के मृतक/दिव्यांग कर्मियों के निकटतम संबंधियों सहित सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण और पुनर्वास की देखभाल के लिए कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) की स्थापना की गई है। कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) ने भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य कल्याण अधिकारियों (एसडब्ल्यूओ) और जिला कल्याण अधिकारियों (डीडब्ल्यूओ) की नियुक्ति की है। वर्तमान में, इस प्रयोजन के लिए 30 एसडब्ल्यूओ और 156 डीडब्ल्यूओ कार्यरत है।

सीएपीएफ कार्मिकों और उनके आश्रितों/परिवारों के लिए कल्याणकारी उपाय

- जम्मू और कश्मीर राज्य तथा नक्सल-रोधी ऑपरेशनों के लिए वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों के मौजूदा जोखिम एवं कठिनाई भत्तों में वृद्धि।
- कश्मीर घाटी में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को पिछली तैनाती के स्थान पर अपने परिवारों को रखने के लिए 'वाई' श्रेणी के शहर की दर पर अतिरिक्त एचआरए (मूल वेतन का 16%) की मंजूरी, बशर्ते कि सरकारी आवास अपने पास रखने का लाभ प्राप्त न किया गया हो।
- सीएपीएफ कार्मिकों को विभागीय पूल के रिहाइशी आवास के ऑनलाइन पंजीकरण और आवंटन के लिए एक साझा (कॉमन) वेबसाइट अर्थात् "सीएपीएफ ईआवास" विकसित करना। इसमें अंतर-बल आवंटन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
- बस्तर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में छह फील्ड अस्पतालों के लिए सीआरपीएफ में चिकित्सा अधिकारी और पराचिकित्सक कर्मचारियों के 42 पदों का सृजन।
- जम्मू और कश्मीर, एलडब्ल्यूई तथा पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों के बच्चों के लिए मौजूदा स्कूल बस सुविधा को जारी रखना।
- एयर मेंटिनेंस के काम में लगे असम राइफल्स के कार्मिकों एवं उनके परिवारों के लिए जयरामपुर/जोरहाट से विजयनगर तक और वहां से वापसी के लिए एयरलिफ्ट की सुविधा।
- डब्ल्यूएआरबी वेबसाइट के साथ निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम (पीएसएआरए) वेबसाइट को जोड़कर "सीएपीएफ पुनर्वास" स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें निजी सुरक्षा एजेंसियों में पुनः नियोजन हेतु पीएसएआरए वेबसाइट पर निजी सुरक्षा एजेंसियों को सेवानिवृत्त और इच्छुक पूर्व-सीएपीएफ/असम राइफल्स कार्मिकों का डाटा उपलब्ध कराया जाता है।
- नामित व्यक्ति का उल्लेख न किए जाने की स्थिति में, सीएपीएफ के मृतक कार्मिकों के निकटतम संबंधी को एकमुश्त केंद्रीय अनुग्रह मुआवजे की मंजूरी के समय उत्पन्न होने वाले विवादों के मद्देनजर, मुआवजे की राशि को निकटतम संबंधी के साथ-साथ आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों के बीच बांटने के लिए एक प्रावधान शुरू किया गया है।
- सीएपीएफ में भुगतान में एकरूपता लाने के लिए अंशदायी निधि हेतु दिशानिर्देश जारी करना।

- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ाकर लड़कियों के लिए 3000/- रुपये प्रतिमाह और लड़कों के लिए 2500/- रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले सीएपीएफ और असम राइफल्स के कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को देय लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित लाभ शामिल हैं:-
 - (i) 25 लाख रुपये से 45 लाख रुपये तक एकमुश्त केन्द्रीय अनुग्रह मुआवजा।
 - (ii) केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अंतर्गत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन।
 - (iii) सेवा संबंधी अन्य सभी सामान्य लाभ यथा, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), छुट्टी नकदीकरण, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना (सीजीईजीआईएस), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), आदि।
 - (iv) संबंधित बल की जोखिम/कल्याण/हितकारी निधि से, इस निधि के मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राशि और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता।
 - (v) ऐसे कार्मिकों के नामों को 'भारत के वीर' नामक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करके 15 लाख रुपये तक का सार्वजनिक अंशदान। मारे गए ऐसे विवाहित कार्मिकों के माता-पिता को 'भारत के वीर' कॉर्पस से 10 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता।
 - (vi) "सीएपीएफ वेतन पैकेज स्कीम" के अंतर्गत बीमा कवरेज।
 - (vii) निकटतम संबंधियों को कुछ लाभों यथा हवाई और रेल यात्रा भाड़े में छूट तथा रिटेल पेट्रोल पंपों के आबंटन आदि के लिए पात्र बनाने हेतु 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र' जारी करना।
 - (viii) सरकार के निर्देशों के अनुसार, पात्र आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति।
 - (ix) एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उनके बच्चों के लिए कोटा।
 - (x) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने नियमों के अनुसार, मुआवजे/सहायता का भुगतान।
